



# कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर - 342001

email- jodhpur@raj.gov.in वेब-साइट <https://urban.rajasthan.gov.in/jodhpur> मोबाइल नंबर-0291-2522222

क्रमांक: एफ-37/जेडीए/ले-आउट प्लान/2023/

दिनांक ::

श्रीमती कविता पत्नी श्री राकेश शौलकी,  
निवासी-पुंजला, जोधपुर

विषय :-राजस्व ग्राम बनाड के खसरा संख्या 620/3 रकबा 18.01.00 बीघा में से 17.12.07 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन वास्तु।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा राजस्व ग्राम बनाड के खसरा संख्या 620/3 रकबा 18.01.00 बीघा में से 17.12.07 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन हेतु प्राप्त प्रकरण भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 33/2023 वीं बैठक दिनांक 06.10.2023 में प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग की चौड़ाई जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 60 फीट रखे जाने हेतु सड़क मध्य से 30 फीट भूमि सड़क मार्गाधिकार हेतु निशुल्क समर्पित करवायी जावें।
2. आवेदित भूमि के रोड भाग से गुजर रही एल.टी विद्युत लाईन की क्षमता एवं स्थिति की रिपोर्ट जोन से प्राप्त कर नियमानुसार सेपटी कॉरीडोर का प्रावधान किया जावें।
3. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
4. रेरा अधिनियम 2017 के तहत राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) द्वारा दिनांक 14.03.2023 एवं इस संबंध में समय समय पर जारी आदेशों अनुसार निजी खातेदारी, निजी विकासकर्ता की उक्त प्लॉटेड योजना (Plotted Development Project) में पट्टे जारी करने से पहले योजना का रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य हैं एवं उक्त की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे।
5. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों एवम् नियोजन को दृष्टिगत रखते हुए समिति के अन्य सुझावों का समावेश करते हुए ले-आउट प्लान जारी किया जावें।
6. टाउनशिप पॉलिसी-2010 के समस्त प्रावधानों की पालना आवेदक स्तर पर सुनिश्चित की जावें।
7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्ररनगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
8. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

9. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं डीएम कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावे। अतः उपरोक्तानुसार उक्त शर्तों की पूर्ति करते हुए आवश्यक संशोधन कर प्रश्नगत गूमि के ले-आउट प्लान की चार प्रतिशा बिन्दुवार पूर्ति कर संशोधित मानचित्र प्रस्तुत करें ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

क्रमांक. एफ-37/जेडीए/ले-आउट प्लान/2023/ 220

प्रतिलिपी :- वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

01. उपायुक्त (जोन-1) को प्रेषित कर लेख है कि विधानसभा आम चुनाव-2023 में आदर्श आचार संहिता के क्रम में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 18.10.2023 को जारी पत्र एवम् उक्त में अंकित संदर्भित पत्रों की पालना अनिवार्य रूप में जोन स्तर पर सुनिश्चित की जावे।

उप नगर नियोजक

दिनांक :: 16/11/2023

  
16/11/2023  
उप नगर नियोजक

